

**Need to include Chhattisgarhi language in the Eighth schedule
to the Constitution**

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): सभापति महोदय, मेरा विषय छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के सम्बन्ध में है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आज सदन में सवा तीन करोड़ छत्तीसगढ़ी लोगों की माँग को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। रामचरितमानस में भी छत्तीसगढ़ी के शब्द मिलते हैं। जैसे बालकांड में माखी, सोवत, जरहि, बिकार, किष्किंधाकांड में पखवारा, लराई, बरसा, सुंदरकांड में सोरह, आंगी, मुंदरी आदि छत्तीसगढ़ी भाषी शब्द हैं। इसके बाद हमारे लेखकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएँ, नाटक, निबंध, शोध ग्रंथ लिख कर इस भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाए। 28.7.2020 को छत्तीसगढ़ के विधान सभा द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा ...

श्री सभापति: धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी भाषा संविधान में जो 22 भाषाएँ हैं, उनके साथ जुड़नी चाहिए, ऐसी उनकी माँग है। You are a new Member, Madam. You are not supposed to read it next time. आप नई हैं, इसलिए मैंने आज आपको allow किया है। श्री पी.एल. पुनिया।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**Need to revoke changes made in labour laws by States to stop
exploitation of labourers**

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि राज्य द्वारा समाप्त किए गए श्रम कानूनों को पुनः बहाल करने के लिए यह मुद्दा उठाने के लिए आपने मुझे समय दिया। आप अवगत हैं कि कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे देश में आर्थिक गतिविधियाँ बंद हो गई हैं और श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट है। हमने लाखों मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते देखा है। ऐसे विपरीत समय में राज्य सरकारों ने उन्हें मदद करने के बजाय श्रम कानूनों में उद्योगपतियों के हित में बदलाव कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले सालों के लिए 35 श्रम कानूनों को व्यवसाय से छूट दे दी गई है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी सहित औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन अनुबंध श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों से सम्बन्धित कानूनों के प्रावधान लागू नहीं रहेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी यही कहानी है। श्रमिकों के काम की अवधि आठ घंटे से बारह घंटे तक बढ़ा दी गई और ओवरटाइम की अवधि भी 72 घंटे तक कर दी गई। व्यवसायी अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा कार्य में रखेंगे। ऐसी कार्रवाई से श्रम विभाग और श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

महोदय, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में और उससे पहले भी श्रमिकों के हित में जो कानून संरक्षण दिया था, वह समाप्त किया जा रहा है।